



# NSE

## नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

'एक्सचेंज प्लाजा', बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

### सार्वजनिक सूचना

सेबी (डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स) रेगुलेशन, 2021 के नियम 32(3) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयर्स की अनिवार्य डिलिस्टिंग के लिए सार्वजनिक सूचना

सेबी (डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स) रेगुलेशन, 2021 के नियम 32(3) ('डिलिस्टिंग रेगुलेशन') के अनुसार और सिक्वोरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1956 की धारा 21ए के अंतर्गत बनाए गए नियमों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एक्सचेंज') के नियमों, बाय-लॉज और विनियमों के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एक्सचेंज नीचे वर्णित 3 कंपनियों को डिलिस्ट करने का प्रस्ताव करता है क्योंकि उक्त कंपनियों ने अपनी सिक्वोरिटीज़ की डिलिस्टिंग के लिए आधार तैयार किया है, यानी सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 तथा इस संबंध में सेबी/एक्सचेंज द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रकों के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार अनुपालन नहीं करने और उक्त कंपनियों की सिक्वोरिटीज़ में ट्रेडिंग करने के लिए छह महीनों से अधिक समय से निलंबित थीं और लिक्विडेशन के अंतर्गत हैं।

एक्सचेंज के रेकॉर्ड्स के अनुसार एक्सचेंज ने कंपनियों को उनके पिछले ज्ञात पते और पंजीकृत ईमेल एड्रेस पर उक्त कंपनियों को यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की थी कि क्यों न कंपनी के इक्विटी शेयर्स को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से डिलिस्ट कर दिया जाय. एक्सचेंज के रेकॉर्ड्स के अनुसार उनके पिछले ज्ञात पतों के साथ इन कंपनियों की सूची नीचे दी गई है:

अनु. क्र.	कंपनी	* कंपनी का पंजीकृत पता
1.	सोनी सोया प्रोडक्ट्स लिमिटेड	ऑफिस नं. सीएस-1, पी स्क्वेयर बिल्डिंग, 2री मंजिल, 350, गोयल नगर, इंदौर-452016
2.	ऑप्टो सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड	नं.83, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसुर रोड, बेंगलूर-560100, कर्नाटक
3.	एम्को लिमिटेड #	एन-104, एमआईडीसी एरिया, जलगांव-425003

\* एक्सचेंज के रेकॉर्ड्स के अनुसार उपलब्ध पता.

# कंपनी लिक्विडेशन के अंतर्गत है; इसीलिए, डिलिस्टिंग रेगुलेशन के नियम 34 के परिणाम इस कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे.

अनिवार्य डिलिस्टिंग के परिणामों में निम्नलिखित का समावेश है:

• ऊपरोक्त कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं रहेंगी. ये कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंज के डिसेमिनेशन बोर्ड पर चली जाएंगी (लिक्विडेशन के अंतर्गत कंपनी को छोड़कर).

• डिलिस्टिंग नियमों के नियम 34 के अनुसार,

1. डिलिस्टेड कंपनी, उसके पूर्णकालिक निर्देशकों, सिक्वोरिटीज़ कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, उसके प्रमोटर्स, और कंपनियाँ जिन्हें उनमें से किसी द्वारा प्रमोट किया गया है, वे सिक्वोरिटीज़ मार्केट तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच प्राप्त नहीं कर पाएंगी या किसी भी इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं करा पाएंगी या सिक्वोरिटीज़ मार्केट में मध्यस्थ के रूप में ऐसी डिलिस्टिंग के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के लिए कार्य नहीं कर पाएंगी.

2. ऐसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य सकारात्मक है-

ए. ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरीज़ प्रमोटर्स/प्रमोटर ग्रुप द्वारा धारित किसी भी इक्विटी शेयर्स को बिक्री, प्लेज इ. द्वारा हस्तांतरित नहीं कर पाएंगी और कॉर्पोरेट लाभों जैसे कि डिविडेंड, राइट्स, बोनस शेयर्स, स्प्लिट इत्यादि को प्रमोटर्स/प्रमोटर ग्रुप द्वारा धारित सभी शेयर्स के लिए तब तक स्थगित कर दिया जाएगा जब तक ऐसी कंपनी के प्रमोटर्स इन नियमों के नियम 33 के उप-नियम (4) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को निकासी का विकल्प प्रदान नहीं करते, जैसा कि संबंधित मान्य स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया हो;

बी. प्रमोटर्स, पूर्ण-कालिक निर्देशक और सिक्वोरिटीज़ कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी लिस्टेड कंपनी का निर्देशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि अनुच्छेद (ए) में वर्णन के अनुसार निकासी विकल्प प्रदान न किया जाय.

• डिलिस्टिंग रेगुलेशन के नियम 33 के अनुसार,

1. जहाँ किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डिलिस्ट किया गया है, वहाँ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक स्वतंत्र वैल्युअर की नियुक्ति करेगा जो डिलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का उचित मूल्य निर्धारित करेगा.

2. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट वैल्युअर्स का पैनल बनाएगा और उक्त पैनल से उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए वैल्युअर्स को नियुक्त किया जाएगा.

3. डिलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का मूल्य सेबी (डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स) रेगुलेशन, 2021 के नियम 20 के उप-नियम (2) में वर्णित कारकों के संदर्भ में वैल्युअर्स द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

4. कंपनी के प्रमोटर्स मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्टिंग के दिनांक के तीन महीनों के अंदर वैल्युअर द्वारा निर्धारित मूल्य उन्हें अदा करते हुए सार्वजनिक शेयरधारकों से डिलिस्टेड इक्विटी शेयर्स प्राप्त कर लेंगे, जो सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा अपने शेयर्स को बरकरार रखने के विकल्प के अधीन है.

5. प्रमोटर उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज देने के लिए जिम्मेदार होगा जो अपने शेयर्स अनिवार्य डिलिस्टिंग ऑफर के अंतर्गत अपने शेयर्स पेश करते हैं, यदि नियम 33 के उपनियम (3) के अनुसार देय मूल्य नियम 33 के उपनियम (4) के अंतर्गत निर्धारित समय के अंदर सभी शेयरधारकों को अदा नहीं किया जाता है.

# यह कंपनी लिक्विडेशन के अंतर्गत है और इसीलिए:

ए. सेबी परिपत्रक नं. SEBI/HO/CFD/DCR/CIR/P/2016/81 दिनांक 07 सितंबर 2016 के प्रावधान इन कंपनियों के लिए लागू नहीं होंगे.

बी. लिक्विडेशन के अंतर्गत कंपनियों के लिए इन मामलों में सेबी की ओर से निम्नलिखित निर्देश मिले हैं:

i. यदि अस्थायी लिक्विडेटर की नियुक्ति या बंद किए जाने के आदेश से पहले कंपनी अनिवार्य रूप से डिलिस्ट हो चुकी है तो डिलिस्टिंग रेगुलेशन के नियम 34 के अंतर्गत प्रदान की गई मर्यादा लागू होगी.

ii. यदि कंपनी अस्थायी लिक्विडेटर की नियुक्ति या बंद किए जाने के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से डिलिस्ट नहीं की गई है तो कानून को लागू करके डिलिस्टिंग की प्रक्रिया होगी तथा डिलिस्टिंग रेगुलेशन के नियम 34 के अंतर्गत मर्यादा को लागू नहीं होगी.

प्रस्तावित डिलिस्टिंग द्वारा असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, यदि हो, एक्सचेंज की डिलिस्टिंग कमिटी के समक्ष लिखित रूप में 02 अगस्त 2022 तक या पहले आवेदन कर सकता है.

व्यक्ति के संपूर्ण संपर्क विवरणों के साथ निवेदन निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए:

**डिलिस्टिंग कमिटी, एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट**, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. संपर्क नं: +91 22 26598100 (23462), ईमेल: dl-insp-enf-delisting@nse.co.in.

उपरोक्त कंपनियों के प्रमोटर्स/निर्देशक के विवरणों को 02 अगस्त 2022 तक या पहले अद्यतनीकृत करने हेतु कंपनियों को निर्देशित किया जाता है. उपरोक्त लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स/निर्देशक को उपरोक्त टेलीफोन नं. और ईमेल एड्रेस पर तुरंत एक्सचेंज से संपर्क करने के लिए भी कहा जाता है.

स्थान: मुंबई

दिनांक: 12 जुलाई 2022



## Nifty50